

Remo 2018/000154

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा  
पोठासीन अधिकारी : श्री वासुदेव मालावत, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 18/2018 (प्रार्थना पत्र - रेफरेन्स)

उनवान

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार दीगोद जिला कोटा (प्रार्थी)

बनाम

1. रामकुवार पुत्र रामसुख
2. जगदीश पुत्र रामस्वरूप
3. हरिओम पुत्र रामस्वरूप
4. गुडडी बाई पुत्री रामस्वरूप
5. सरोजबाई पुत्री रामस्वरूप
6. मोत्याबाई पत्नी रामस्वरूप निवासी बगतरी तहसील दीगोद जिला कोटा
7. प्रबन्धक- हा0 क्षे0 ग्रा0 बैंक शाखा सुल्तानपुर जिला कोटा (अप्रार्थीगण)

उपस्थित :- श्री रामरतन मीना (अभिभाषक अप्रार्थी नं0 #) से 6 15

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की  
धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रकरण

निर्णय दिनांक : 29.08.2019



1. प्रार्थी राज्य सरकार जयें तहसीलदार दीगोद जिला कोटा द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रकरण इस बाबत प्रस्तुत किया है कि ग्राम बगतरी तहसील दीगोद के गत खसरा नम्बर 74/5 हाल खसरा नम्बर 366/802, 367 जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में खाता नम्बर 118 पर उक्त अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम बगतरी तहसील दीगोद के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी 2013-2032 में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एवं किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एवं डी0वी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आवंटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एवं राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 118 सम्वत् 2072-2075 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एवं भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

*(Handwritten signature)*

2. प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकार से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जर्ने नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थी नं० 12 की ओर से श्री रामरतन मीना एड० का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। शेष अप्रार्थी का बावजूद सूचना अनु० रहने से उनके विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

3. वकील अप्रार्थी नं० 12 की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में तथ्य अंकित किये हैं कि प्रार्थी की आराजी बाराजी द्वितीय है, किसी प्रकार कोई नाले की जमीन नहीं है, गलत रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की है, जिसकी नकल जमाबन्दी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। उक्त आराजी सन् 1977 में प्रार्थीगणों के पिता के पिता के नाम अलोटमेन्ट हुई थी, तब से काबिज काश्त करते हुये आ रहे हैं। काफी रुपये लगाकर कृषि योग्य भूमि बनाई गई है, अलोटमेन्ट की शर्त पूरी की गयी है तथा डीएलसी की राशि भी प्रार्थीगण द्वारा जमा करायी गयी है, वर्तमान में भी प्रार्थीगण काबिज व काश्त करते हुये आ रहे हैं एक गलत राजनैतिक दुर्भावना से गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करवा कर प्रार्थीगण को उक्त आराजी से बेदखल करवाने पर आमादा हो रहे हैं, जबकि अप्रार्थीगण वर्षों से काबिज व काश्त करते हुये आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, जबकि सन् 1977 से काबिज है व राजस्व रिकार्ड में भी अमल दरामद हो चुका है और वर्तमान में अप्रार्थीगण की फसल खड़ी हुई है। अप्रार्थी की आराजी पर आवंटन निरस्त कर दिया गया तो अप्रार्थीगण को अपार क्षति होगी क्योंकि उक्त आराजी के अलावा अन्य कोई आराजी नहीं है, इसी आराजी पर पूरा परिवार निर्भर है, पूरी आजीविका की राशि इसी आराजी में लगा चुके हैं। प्रार्थी के द्वारा यानि तहसीलदार दीगोद के द्वारा जो गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है, क्योंकि उक्त आराजी वर्तमान में बाराजी तृतीय किस्म की है, आस-पास के समस्त काश्तकारों को अलोट हुई है, अप्रार्थीगण की आराजी बीचों बीच है, अन्य काश्तकारों को किसी प्रकार से कोई नोटिस जारी नहीं हुये हैं। ऐसी स्थिति में तहसीलदार दीगोद द्वारा जो प्रार्थना पत्र षडयंत्र व राजनैतिक दुर्भावना वश प्रस्तुत किया गया है जो स्वतः ही खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स खारिज करने का निवेदन किया गया।

4. प्रकरण में वकील अप्रार्थी नं० 12 की ओर से जवाब प्रस्तुत हो जाने पर पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त यह पाते हैं कि ग्राम बगतरी तहसील दीगोद के गत खसरा नम्बर 74/5 हाल खसरा नम्बर 366/802, 367 जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 तक में खाता नम्बर 118 पर उक्त अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम बगतरी तहसील दीगोद के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेन्ट खतोनी 2013-2032 में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एवं किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एवं डी०बी०सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आवंटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एवं राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं० प०10(3) राज०/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 118 सम्वत् 2072-2075 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एवं भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने बाबत तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स श्री मान निबन्धक महो०, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(वासुदेव मालावत)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर